कार्यालय उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी
26 JUL 2024

DSE

पत्रांकः– झा.रा.म.भो.प्रा. 57/18 374

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण)

प्रेषक,

आदित्य रंजन, भा.प्र.से.,
निदेशक, झा.रा.म.भो.प्रा.।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 25/07/2024

विषय : दिनांक 28.07.2024 को तिथि भोजन का आयोजन के संबंध में।

प्रसंग : भारत सरकार का D-O No 4-5/2022 PM POSHAN 1-1(E.E.5) दिनांक 09.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक -22–28 जुलाई "शिक्षा शपथ दिवस" के रूप में मनाया जाना है। इस क्रम में विद्यालय में दिनांक 28.07.2024 को जन्म दिन/विशेष अवसर पर तिथि भोजन का आयोजन किया जाना है। इस हेतु विद्यालय स्तर पर निम्नांकित गतिविधियां आयोजित की जाय :–

1. सामुदायिक सहभागिता दिवस (तिथि भोजन) विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सरस्वती वाहिनी संचालन समिति की बैठक आहूत कर समाज के प्रबुद्ध वर्ग शिक्षक/पंचायती राज संस्था के सदस्य/समाज सेवी/पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU)/प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी एव अन्य गणमान्य व्यक्ति को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
2. संतुलित आहार के रूप में ताजी पकी हुई पौष्टिक भोजन जिसमें चावल/गेहूं/श्री अन्न (मोटा अनाज)/चना दाल एवं हरी पत्तेदार सब्जी का प्रयोग किया जाय।
3. जंक फूड एवं बासी सब्जी कदापि नहीं परोसा जाय क्योंकि इसका दुष्प्रभाव अन्य छात्रों तथा अन्य समुदाय पर भी पड सकता है।
4. स्थानीय स्वाद एवं अधिमानता (Preference) को ध्यान में रखकर ही खाद्य पदार्थ बच्चों को परोशा जाय।
5. विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत कर विमर्शोपरांत तिथि भोजन हेतु मेनु तथा दाता (Donar) को चिन्हित किया जाय।

CamScanner

6. कार्यालय पत्रांक–304 दिनांक–02.07.2024 में निहित निदेश के आलोक में 100 दिन के लक्ष्य के अन्तर्गत यथासंभव सभी विद्यालयों में कम से कम एक बार तिथि भोजन का आयोजन अवश्य किया जाय।

तिथि भोजन का आयोजन के उपरान्त निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राधिकरण को 29.07.2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे .–

Sl. No	Name of District	Total Schools	Number of Schools where Tithi Bhojan Day Celebrated	Total Enrollment	Number of students who availed meals on Tithi Bhojan Day
1	2	3	4	5	6

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक यथोक्त।

(आदित्य रंजन)
निदेशक, झा.रा.म.भो.प्रा.।

ज्ञापांक : झा.रा.म.भो.प्रा. 57 / 18.......... दिनांक :–........2024

प्रतिलिपि :–सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, स्टीयरिंग–सह–मॉनिटरिंग कमिटि, पी.एम.पोषण योजना एवं क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(आदित्य रंजन)
निदेशक, झा.रा.म.भो.प्रा.।

CamScanner